न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 07/2021 दिनांक 18.04.2022

भीकमचन्द पुत्र रामचंद जाति पुरोहित निवासी पाराशर मंदिर के पास कालूबास श्रीडूंगरगढ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थित:—

1.रणवीरसिंह अभिभाषक प्रार्थी

2.पेरोकाराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू. अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र भीकमचंद ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 15 तादादी 7.01 हैक्टैयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर मं स्थित है। उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा भूमि है। उक्त खसरान की भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। उक्त खसरान की राजस्व रिकार्ड मं प्रार्थी का नाम भूलवंश भीखचंद के स्थान पर भीखाराम नाम अंकित हो गया है। जिसके कारण प्रार्थी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी का नाम सही करना पड़ रहा है। प्रार्थी के राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम भीकमचंद आधार कार्ड मं भीकमचंद पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम भीकमचंद व परिचय पत्र मं प्रार्थी का नाम भीखमचंद अंकित है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 15 वाकेरोही वेनीसर में प्रार्थी का नाम भीखाराम अंकित है। राजस्व रिकार्ड मं प्रार्थी का नाम भूलवंश भीकमचंद के स्थान पर भीखाराम अंकित हो गया है जो सही नहीं है। रेवेन्यु रिकार्ड मं प्रार्थी का नाम भीखाराम की जगह भीकमचंद अंकित करवाया जाना आवश्यक है । यह एक लिपिकीय भूल है जो कि सुधारी जा सकती है। इस भूल को सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी को प्रार्थी ने निवेदन किया कि वो रेवेन्यु रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भीखाराम के स्थान पर भीकमचंद अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने कहा कि अदालत का हुक्म लेकर आवों। इस स्थिति में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 15 तादादी 7.01 हेक्टेयर वाकेरोही वेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला वीकानेर मं स्थित होने के कारण श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मं आता है । अतः प्रार्थाना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज कि अप्रार्थी को रेवेन्यु रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भीखाराम के स्थान पर भीकमचंद अंकित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किय गया । अप्रार्थी की ओर से पेराकाराज [illegible] जवाब पेश किया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:22 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित होने के कारण श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मं आता है । अतः प्रार्थाना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज कि अप्रार्थी को रेवेन्यु रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भीखाराम के स्थान पर भीकमचंद अंकित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किय गया । अप्रार्थी की ओर से पेराकाराज ने जवाब पेश किया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपति नही होने व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

रोही ग्राम बेनीसर के खेत खसरा नंबर 15 मे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के अशुद्ध नाम भीखाराम पुत्र रामचन्द की जगह प्रार्थी का सही नाम भीकमचन्द पुत्र रामचन्द शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे।

आदेश आज दिंनाक 18.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर मे से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) *
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:24:22 IST
Reason: SelfAttested